अध्याय 17
अग्रिम विनिर्णय

धारा 95 : परिभाषाएं

इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''**अग्रिम विनिर्णय**'' से किसी प्राधिकरण या [1]**[**अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण**]** द्वारा किसी आवेदक को धारा 97 की उपधारा 97 की उपधारा (2) या [2]**[**धारा 100 की उपधारा (1) या धारा 101ग**]** में मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति, जिसे आवेदक द्वारा किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है, पर विनिर्दिष्ट विषयों या प्रश्नों पर दिया गया विनिश्चय अभिप्रेत है;

(ख) ''**अपील प्राधिकरण**'' से धारा 99 में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) ''**आवेदक**'' से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) ''**आवेदन**'' से धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को किया गया आवेदन अभिप्रेत है।

(ड.) ''**प्राधिकरण**'' से धारा 96 में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अभिप्रेत है;

[3]**[(च)** ''**राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण**'' से धारा 101 क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है।**]**

उपयुक्त नियमः नियम 103

---

1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा ''अपील प्राधिकरण'' के बाद अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

2 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा ''धारा 100 की उपधारा (1)'' के बाद अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

3 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा खंड (च) अंतः स्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।